

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नं०

८/८/२५

मं० ५

पुनर्जाती प्रस्ताव वादीनी / प्रार्थनी वीर
 इत्यादि प्रार्थनी को मूल वास्तु विज्ञान के
 आधार पर खारिज किया जा चुका है
 अतः प्रार्थना को आगे चलाने का कोई
 औचित्य नहीं है अतः प्रार्थनी का प्रस्ताव
 प्रार्थना पत्र में दर्ज होकर खारिज
 किया जाता है । अतः इति वदामः कि २०/८/२५
 को भी इसी प्रकार खारिज किया गया
 है एवं प्रार्थनी को नकार दिया जा रहा
 है ।

उपखण्ड अधिकारी
 बीकानेर (राज.)